



झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
(परिशिष्ट-2)

विभिन्न रेडियो एफ०एम० चैनल / सामुदायिक रेडियो चैनलों को झारखण्ड राज्य की स्वीकृति सूची में शामिल होने हेतु आवेदन पत्र :-

क्र०सं०

1. रेडियो एफ०एम० / सामुदायिक रेडियो चैनल :-
का नाम
2. भाषा :-
3. संचालन क्षेत्र :-
4. प्रसारण स्थल का पूर्ण पता (दूरभाष संख्या :-
एवं ई-मेल आईडी० सहित)
5. रेडियो एफ०एम० / सामुदायिक रेडियो चैनल :-
के संचालक कंपनी का नाम एवं पूर्ण पता
6. रेडियो एफ०एम० / सामुदायिक रेडियो चैनल :-
के आरंभ होने की तिथि
7. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार :-
से प्रसारण हेतु निर्गत लाईसेंस संख्या, वर्ष
एवं तिथि
8. दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से निर्गत :-
Frequency Allotment प्रमाण –पत्र संख्या
एवं तिथि
9. रेडियो एफ०एम० / सामुदायिक रेडियो चैनल :-
का प्रारंभिक स्वामित्व का नाम
10. प्रारंभ होने के बाद यदि स्वामित्व में :-
परिवर्तन हुआ है, जो उसकी विवरणी
11. वर्तमान स्वामित्व का नाम :-
12. रेडियो एफ०एम० / सामुदायिक रेडियो चैनल :-
हेड का नाम एवं पता

13. क्या रेडियो एफ०एम०/सामुदायिक रेडियो :—
चैनल प्रारंभ होने के बाद कभी बंद रहा है।
14. यदि बंद रहा है तो कितने समय तक और :—
क्यों
15. रेडियो एफ०एम०/सामुदायिक रेडियो चैनल :—
को विज्ञापन प्रसारण का नेट रेट
(डी०ए०वी०पी० द्वारा निर्धारित दर)
16. यदि अन्य राज्यों में रेडियो एफ०एम० :—
/सामुदायिक रेडियो चैनल का प्रसारण
होता है तो उन राज्यों का नाम
17. रेडियो एफ०एम०/सामुदायिक रेडियो चैनल :—
से अर्जित आय के संदर्भ में पिछले वित्तीय
वर्ष के आयकर रिटर्न की विवरणी

(कृपया उपरोक्त सभी कॉलमों की पूर्ति करें एवं सभी पृष्ठों पर संपादक/माध्यम का संचालक का हस्ताक्षर
करें)

नोट :— कृपया आवेदन के साथ झारखण्ड विज्ञापन नियमावली, 2019 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में सभी
आवश्यक प्रमाण—पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी कॉलमों में दी गयी सूचना सही है।

संपादक/माध्यम के संचालक का हस्ताक्षर
एवं मुहर